राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–3015/2007

राधेश्याम शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर।
2. उप वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर।
3. उपवन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, दौसा।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 10.08.2023
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता,
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने अपनी इस अपील में यह तथ्य अंकित हैं कि अपीलाथी की प्रथम नियुक्ति वनपाल के पद पर दिनांक 26.12.1974 को हुई। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 26.12.1974 को अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया।
2. प्रत्यर्थी संख्या 1 ने आदेश क्रमांक 11678 दिनांक 21.8.2006 के द्वारा अपीलार्थी को 9 वर्षीय प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ 25.1.1996 से स्वीकृत किया। उक्त आदेश की पालना में प्रत्यर्थी संख्या 2 ने आदेश क्रमांक 7290–7300 दिनांक 2.9.2006 के द्वारा अपीलार्थी को 25.1.1996 से वेतन श्रंखला 1200–2050 में 1840/– रुपये प्रतिमाह पर वेतन निर्धारण का आदेश पारित किया। उक्त आदेश दिनांक 21.8.2006 (प्रदर्श ए–1) व आदेश दिनांक 2.9.2006 (प्रदर्श ए–2) के द्वारा अपीलार्थी को प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ अनुचित रूप से 25.1.1996 से देना बताया, जबकि अपीलार्थी अपनी प्रथम नियुक्ति 26.12.1974 के आधार पर 9 वर्षीय प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ 25.1.1992 से प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी अपनी प्रथम नियुक्ति से 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने तक उसके सेवा अभिलेख में कोई प्रतिकूल सेवा अभिलेख नहीं था। माननीय उच्च न्यायालय ने यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि कर्मचारी का चयनित वेतनमान के लिए तब तक का सेवा अभिलेख देखा जायेगा जब उसने 9 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो । उक्त आधार पर अपीलार्थी अपनी प्रथम नियुक्ति से 9 वर्ष की सेवा संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के आधार पर

नियमानुसार 25.1.1992 से प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है, किन्तु अनुचित रूप से अपीलार्थी को उक्त चूनौती आदेश दिनांक 21.8.2006 (प्रदर्श–1) व आदेश दिनांक 02.09.2006 (प्रदर्श ए–2) के द्वारा 25.1.1996 से दिया गया है, अतः उक्त आदेश इस सीमा तक सशोधित करवाकर परिणामस्वरूप लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। आदेश कमांक 4336–39 दिनांक 26.5.2007 के द्वारा अपीलार्थी का 18 वर्षीय द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ 26.1.1000 से स्वीकृत किया गया। उक्त आदेश की पालना में आदेश क्रमांक 3699–3704 दिनांक 26.6.2007 के द्वारा वेतन श्रंखला 1640–2900 में दिनांक 25.1.1996 से द्वितीय चयनित वेतनमान स्वीकृत किया। अपीलार्थी को जो 4 वर्ष आगे चयनित वेतनमान बढ़ाने का जो आधार दर्शाया गया है वह अनुचित है। अपीलार्थी के सम्बन्ध में जो प्रतिकूल प्रविष्ठियों का हवाला दिया गया है, वह उसे कभी भी उपलब्ध नहीं करवाई गई और न ही अपीलार्थी की जानकारी है कि उसे उक्त वर्ष में कोई प्रतिकूल प्रविष्ठियां दी गई हो और एक असंचयी प्रभाव वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने के दण्ड के सम्बन्ध में भी अपीलार्थी को कोई सूचना नहीं दी है। उक्त आदेश दिनांक 26.5.2007 (प्रदर्श ए–4) व आदेश दिनांक 26.6.2007 (प्रदर्श ए–5) के द्वारा अपीलार्थी को द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ अनुचित रूप से 25.1.1996 से देना बताया, जबकि अपीलार्थी अपनी प्रथम नियुक्ति 26.12.1974 के आधार पर 18 वर्षीय प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ 26.12.1992 से प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः आदेश दिनांक 26.05.2007 (प्रदर्श–ए4) व आदेश दिनांक 26.06.2007 (प्रदर्श–ए5) को इस सीमा तक संशेाधित करवाकर परिणामस्वरूप लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने आदेश क्रमांक 14068–70 दिनांक 25.10.2007 के द्वारा अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ 27.12.2003 से वेतन श्रंखला 6500–10500 में स्वीकृत किया गया। उक्त आदेश की पालना में प्रत्यर्थी संख्या 2 ने आदेश क्रमांक 6006–11 दिनांक 29.10.2007 के द्वारा अपीलार्थी का वेतन निर्धारण कर 27.12.2003 से चयनित वेतन श्रंखला स्वीकृत होने के फलस्वरुप वेतन निर्धारण किया। अपीलार्थी को 27 वर्षीय तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ वर्ष 2000–2001 की तथाकथित प्रतिकूल प्रविष्ठि के आधार पर आगे बढाया गया है, जो उचित नहीं है, क्योंकि अपीलार्थी का जो वर्ष 2000–2001 का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन है उसके रिर्पोटिंग अधिकारी अपीलार्थी से नाराज थे, जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थी ने समय पर सूचित भी कर दिया था और यह निवेदन किया था

कि अपीलार्थी का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उक्त अधिकारी से नहीं भरवाया जाये, लेकिन अपीलार्थी का उक्त समय का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उन्हीं अधिकारी महोदय द्वारा भरा गया, जिन्होंने अपीलार्थी के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में दुर्भावना के आधार पर प्रतिकूल प्रविष्ठि अंकित कर दी, जबकि उक्त वर्ष के चार माह का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन जो अलग अधिकारी द्वारा भरा है वह उत्तम है। अतः अपीलार्थी का 27 वर्षिय तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ उक्त आधार पर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। अपीलार्थी ने अपनी प्रथम नियुक्ति 26.12.1974 के आधार पर 27 वर्ष की सेवाएं 26.12.2001 को पूर्ण कर ली अतः उक्त तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ अपीलार्थी 26.12.2001 से स्वीकृत करवाने का अधिकारी है व उसके आधार पर वेतन निर्धारण करवाने का अधिकारी हैं।

3. अपीलार्थी ने निम्न प्रकार से प्रार्थना की है :–

> क–कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर राज्य सरकार (वित्त विभाग) के आदेश दिनांक 25.1.1992 की अनुपालना में अपीलार्थी को 9 वर्षीय प्रथम चयनित वेतनमान 25.1.1992 से 18 वर्षीय द्वितीय चयनित वेतनमान 25.12.1992 से एवं 27 वर्षीय तृतीय चयनित वेतनमान 26.12.2001 से स्वीकृत फरमाये जाये एवं परिणामस्वरूप आदेश दिनांक 21.8.2006 (प्रदर्श ए–1) व आदेश दिनांक 2.9.2006 (प्रदर्श ए–2) आदेश दिनांक 26.5.2007 (प्रदर्श ए–4) व आदेश दिनांक 20.6.2007 (प्रदर्श ए–5) आदेश दिनांक 25.10.2007 (प्रदर्श ए–6) व आदेश दिनांक 29.10.2007 (प्रदर्श ए–7) को इस सीमा तक संशोधित किया जाकर परिणामस्वरुप लाभ दिलवाये जायें ।
>
> ख–खर्चा अपील दिलवाया जावे।
>
> ग–अन्य सहायता जो माननीय अधिकरण अपीलार्थी के पक्ष में उचित समझे, दिलवाई जावे ।

4. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किये गये हैं कि अपीलार्थी की नियुक्ति अनियमित होने एवं अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय जांच विचाराधीन होने तथा सक्षम अधिकारी द्वारा पारित दण्डादेश प्रभाव में रहने के कारण वार्षिक वेतन वृद्धियां एवं नवीन वेतनमान एवं चयनित वेतनमानों का लाभ यथा समय नहीं दिया गया। अपीलार्थी को 9 वर्षीय चयनित वेतनमान दिनांक 25.01.1996 से स्वीकृत किया गया है, क्यांकि अपीलार्थी को 9 वर्षीय चयनित वेतनमान दिनांक 25.01.1992 से दिया जाना

था, क्योंकि अपीलार्थी वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने एवं वर्ष 1984–85, 1987–88 एवं 1988–89 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल टिप्पणी होने के प्रभाव के कारण 9 वर्षीय चयनित वेतनमान दिनांक 25.01.1996 से स्वीकृत किया गया। अपीलार्थी को 18 वर्षीय चयनित वेतनमान दिनांक 25.01.1996 से स्वीकृत किया गया है, जो कि सही है, क्योंकि अपीलार्थी को 18 वर्षीय चयनित वेतनमान दिनांक 25.01.1992 से दिया जाना था, किन्तु अपीलार्थी की वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने एवं वर्ष 1984–85, 1987'88 एवं 1988–89 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल टिप्पणी होने के प्रभाव के कारण 18 वर्षीय चयनित वेतनमान दिनांक 25.01.1996 से स्वीकृत किया गया। चयनित वेतनमान का लाभ पदोन्नति की भांति ही दिया जाता है, इसमें कर्मचारी के सम्पूर्ण सेवारिकॉर्ड पर पदोन्नति प्रक्रिया की भांति ही विचार किया जाता है। अपीलार्थी को 27 वर्षीय चयनित वेतनमान दिनांक 26.12.2001 को देय होता है, किन्तु अपीलार्थी के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन वर्ष 2000–01 में प्रतिकूल प्रविष्ठि अंकित होने एवं दिनांक 15.09.2001 के द्वारा एक वेतन वृद्धि अंसचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्डों के प्रभाव के कारण अपीलार्थी को 27 वर्षीय चयनित वेतनमान दिनांक 26.12.2001 के स्थान पर उक्त दण्डों के प्रभाव के कारण दिनांक 26.12.2003 से दिया गया है। अपीलार्थी के विरूद्ध दण्डादेशों को ध्यान में रखते हुए ही अपीलार्थी को नियमानुसार चयनित वेतनमान प्रदान किया गया है।

5. हमनें दोंनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अपीलार्थी का मुख्य रूप से यह कथन रहा है कि अपीलार्थी को जो तीन चयनित वेतनमान 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान दिया गया है, वह देय तिथि से न देकर आगे की तिथि से दिया गया है, जो उचित नहीं है। हमारे द्वारा उठाई गयी आपत्ति पर विचार किया गया। जहां तक 9 वर्षीय प्रथम चयनित वेतनमान का प्रश्न है, अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी को प्रथम चयनित वेतनमान (9 वर्षीय चयनित वेतनमान) प्रथम नियुक्ति की तिथि से दिनांक 25.01.1996 से स्वीकृत किया गया है, जबकि अपीलार्थी उक्त वेतनमान दिनांक 25.01.1992 से प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रत्यर्थी विभाग का यह जवाब है कि अपीलार्थी की वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने व वर्ष 1984–85, वर्ष 1987–88 एवं वर्ष 1988–89 की वार्षिक कार्य मुल्यांकन रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणी होने से 9 वर्षीय चयनित वेतनमान दिनांक 25.01.1996 से स्वीकृत किया गया है। इस

संबंध में अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रकरण सरकार बनाम कुलदीप सिंह चौहान 1998 (3) WLC राजस्थान राज्य पेज न. 1 से यह अभिव्यक्त किया है कि मात्र वही तिथि जब कर्मचारी 9, 18 या 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करके संगत होने के कारण कर्मचारी की हकदारी से 7 वर्ष की पूर्व की वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट ही संगत होगी।

6. 9 वर्षीय चयनित वेतनमान देय होने की तिथि के संबंध में विचार किया गया है। हमें यह देखना है कि 9 वर्षीय चयनित वेतनमान के लाभ के लिये संगत अवधि में क्या कोई दण्ड या प्रतिकूल टिप्पणी थी या नहीं। अपीलार्थी ने 9 वर्षीय सेवा दिसंबर, 1983 को पूर्ण की थी, तब तक अपीलार्थी को दण्डित नहीं किया गया था। अतः हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी की जो प्रतिकूल प्रविष्टियां है, वह वर्ष 1984–85, 1987–88 एवं 1988–89 के वर्षों की है। अपीलार्थी ने 1983 में 9 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली थी। ऐसे में 9 वर्ष के चयनित वेतनमान का लाभ 4 वर्ष के लिए आगे किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी को 18 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ 25.01.1992 से दिया जाना था। अपीलार्थी को उक्त दिनांक 25.01.1992 को गत 7 वर्ष के अभिलेख में से वर्ष 1984–85, 1987–88 एवं 1988–89 के वार्षिक कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल टिप्पणी होने से अपीलार्थी का 18 वर्षीय चयनित वेतनमान केवल 3 वर्ष के लिए आगे किया जा सकता था। अतः अपीलार्थी द्वितीय चयनित वेतनमान दिनांक 25.01.1992 के स्थान पर 25.01. 1995 से प्राप्त करने का अधिकारी है।

7. जहां तक 27 वर्षीय चयनित वेतनमान प्राप्त करने का प्रश्न है, तो अपीलार्थी दिनांक 26.12.2001 से 27 वर्षीय चयनित वेतनमान प्राप्त करने का अधिकारी था, परंतु अपीलार्थी के वार्षिक मुल्यांकन प्रतिवेदन 2000–01 में प्रतिकूल टिप्पणी अंकित होने से वह आदेश दिनांक 15.09.2001 के द्वारा एक वेतन वृद्धि अंसचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 26.12.2003 को दिया गया है। अपीलार्थी का यह कथन है कि जो आदेश 15.09.2001 को दिया गया था, उसका अपील में अपीलार्थी के दण्ड से अपास्त किया गया है। अपीलार्थी ने इस दोषमुक्ति के आदेश दिनांक 30.06.2007 की प्रति प्रस्तुत की है। जिस कारण से आदेश दिनांक 15.09.2001 के दण्ड का कोई प्रभाव नहीं रहा है। अतः अपीलार्थी 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ 27.12.2003 के स्थान पर 27.12.2002 को प्राप्त करने का अधिकारी होता है।

8. उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी को प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 25.1.1992 से प्रदान करें व 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 26.12.2002 से प्रदान करें। इस संबंध में संशोधित आदेश पारित करें, जिसके लिए 3 माह का समय प्रदान किया जाता है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)